

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करीली

01/18

परीचय क्र- 28/12/18

पीठाधीन अधिकारी- दुर्गा प्रसाद गीना (अग्रणीगण)

जन्मान

1. यन्तू राम पुत्र रामजीलाल
2. हरीशिवान पुत्र रामजीलाल
3. मेखाराम दत्ताराम पुत्र जगन्ना लाल
4. जल्ली पति जगन्ना लाल
5. भिरुजी पुत्री जगन्ना लाल
6. हजारी पुत्र कज्जोडी

समस्त जातिध्यान मीना निवासीयान मातासुता छहरील टोडाभीम।

प्रतीगण

धनाग

1. सुशीला पुत्री मांगीलाल पति रामकेश जाति मीना निवासी मातासुता छहरील टोडाभीम।
 2. सुखराम पुत्र कज्जोडी
 3. कमल पुत्र सुखराम
 4. नवल पुत्र सुखराम
 5. मगन पुत्र सुखराम
 6. अमरवती पति कमल
 7. मीरा पति नवल
 8. गीता पति मगन
- समस्त जातिध्यान मीना निवासीयान मातासुता छहरील टोडाभीम।
9. सी.टी.आई. बैंक जम्पुर।
 10. छहरीलदार टोडाभीम।
 11. उप पंजीयक टोडाभीम।

अग्रणीगण



अग्रणी वर अग्रणी निवेदन
उपस्थिति- श्री संसाम कूर्वर एडवोकेट (प्रतीगण)
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा (अग्रणीगण 1 ता 8)

निर्णय

दिनांक- 04.08.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि राम मातासुता स्थित भूमि खण्ड 12/0, 19/0.20, 21/0.19, 22/0.22, 23/0.20, 24/0.01, 32/0.20, 48/0.25, 49/0.05, 64/0.11, 85/0.11, 85/0.35, 86/36, 122/0.30, 123/0.20, 125/0.21, 406/0.10, 467/0.35, 468/0.25, 469/0.33, 1092/0.17, 1093/0.01, 1004/0.24, 1095/0.17, 1096/0.30, 1097/0.17, 1098/0.11, 1099/0.10, 1130/0.13, 1131/0.08, 1132/0.09, 1133/0.27, कुल कितना 32 मुल नम्बर 0.35 हेठ में भूमि की खालेदारी छहरील जगन्नादी लम्बा 2072-75 में साफल नं 1 व 2 हिस्सा 1/5 साफल नं 3 ता 5 हिस्सा 1/5 साफल नं 6 हिस्सा 1/5, तथा वीरसाफल नं 2 हिस्सा 1/5 के रिजार्ड्ड हिस्सा 1/5, तथा वीरसाफल नं 1 हिस्सा 1/5 वीरसाफल नं 2 हिस्सा 1/5 के रिजार्ड्ड


जिला कलक्टर

विशेष प्रति प्रस्तुत की है तथा गौदपुर के बाबत राजस्व मंडल राजस्वधर प्रान्त का बाबत प्रथम पृष्ठ 624 प्रस्तुत की है। यह भी उक्त विषय कि एक कॉन्फॉर्म है। रिकॉर्ड प्रती है और बाकी इनका क्या है। प्रथम पृष्ठ रिकॉर्ड स्पष्ट नाम है क्या क्या है। इसका संतुलन गैरसाधन का क्या है। गैरसाधन का प्रकृत नहीं कर के साधन प्रती है। इसलिए साधन का प्रार्थना पर अर्थात् निष्पत्ति धरित प्रस्ताव जो।

परिचित उभयपक्ष की वहां मुनी वृद्ध वहां पर कर्म किया गया। पत्रावली के लिए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विज्ञान धरित उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत पत्रों का क्या से उक्तन किया गया प्रार्थना पर अर्थात् निष्पत्ति के विस्तार हेतु तीन विन्दुओं का क्या आवश्यक है।

प्रथम पृष्ठ का प्रकरण- पत्रावली के बाबत जमावटी सन् 2012-15 का बाबत प्रस्तुत प्रमाण विवरित आकांक्षित विवरण 32 रकम 835 हे 3 का बाबत प्रस्तुत की विवरित आकांक्षित विवरण 6 रकम 1.5 हे अनुसार गैरसाधन नं 1 धरित विवरण से प्रकृत 1/2 का व 1/2 हिस्सा की रिकॉर्ड धरित है। गैरसाधन नं 1 जमावटी 8 की ओर से प्रस्तुत प्रकरण के विवरित आकांक्षित गैरसाधन का गैरसाधन नं 8 का व 8 का विवरण 122018 का धरित रिकॉर्ड विवरण पर बेधाल का कर्म सन्तान का उक्तन किया गया है। जो वहां के धरित साधन धरित द्वारा उक्तन किया गया है। मुक्ति गैरसाधन नं 1 का बाबत प्रकृत आकांक्षित की रिकॉर्ड धरित होने से वहां बेधाल किया गया है। कर्म प्रमाणुसार कर्म साधनता गया है। जो प्रथम पृष्ठ प्रकृत साधन का साधन नहीं धरित है।

मुक्ति का संतुलन- धरित आकांक्षित के गैरसाधन नं 1 रिकॉर्ड धरित होने के वहां गैरसाधन नं 8 का व 8 का विवरण का कर्म सन्तान का मुक्ति का संतुलन भी साधन का क्या है नहीं है।

अधुनीय धरित- मुक्ति प्रथम पृष्ठ प्रकृत पर मुक्ति का संतुलन साधन का क्या है नहीं होने से साधन का कोई अधुनीय धरित नहीं है।

गैरसाधन धरित द्वारा प्रस्तुत पत्रों आ.आ.आ.सी 1988 पृष्ठ नं 391 प्रकृत का क्या धरित है।

आ प्रार्थना पर अर्थात् निष्पत्ति साधन धरित योग होने से धरित किया

जाय दिनांक 04.08.2019 को विवरण जावन धरित न्यायालय के सुनवाई



(Signature)
 (Official Name)
 (Official Title)
 (Official Address)